

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम
(आरटीएस)

मि.न.134 / 17

दिनांक 7.9.17

सरकार बनाम वीरसिंह
अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत


निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिंहपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 561 रकबा 0.15 है0 किस्म जमीन सिवायचक बंजड में से 0.002 है0 पर वीरसिंह पुत्र चन्दा राम जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पक्का मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान जरीये अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सैनी उपस्थित आये । अधिवक्ता ने गैरसाल की तरफ से लिखित जबाब पेश किये जो संलग्न पत्रावली किया गये । विद्वान अधिवक्ता ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थी को उक्त नोटिस गैर कानूनी रूप से दिये गये हैं। जबकि खसरा नंबर 561 ग्राम करवास प्रार्थी की खातेदारी भूमि के समीप लगती हुई है जिसमें प्रार्थी गण के मकान बुर्जुगान के समय से है। विद्वान वकिल ने मननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1955(1)डीएनजे एस0 सी0 पेज 208, आर0 एल0 डब्लू0 -2004 राज0 पेज 372 व आर0 एल0 डब्लू0 -2005(1)राज0 पेज 378 की दलील पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थी गण का कब्जा 50 वर्षों से अधिक है जिस पर से एल0 आर0 एक्ट की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती । अतः नोटिस को निरस्त फरमाया जावे ।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब व दलीलो के संदर्भ में मनन किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 561/0.15 वाके ग्राम करवास की किस्म सिवाय चक बंजड दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा अपने मकान बुर्जुगान के समय से बताये हैं लेकिन इसके संबन्ध में कोई सबूत साक्ष्य पेश नहीं किये गये। अतः इस स्तर पर गैरसायल को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता । जबकि गैरसायल वीरसिंह पुत्र चन्दा राम जाति जाट निवासी


तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

अपेक्षित अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः वीरसिंह पुत्र चन्दा राम जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 561/0.15 है0,किस्म जमीन सिवायचक बंजड मे से 0.002 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बने पुक्ता मकान को ध्वस्त किया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0,04का पचास गुणा 2रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली , हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

बर्ष 2017 - 018 के रा० ले० 4
न पृष्ठ संख्या 82 पर 225
इसके अनुसार किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)